

फर्त अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	12-1-25	<p>परावली केस क्र० 1. बारीगाठा एवं उनके अधिनता अनुशासित। बारीगाठा क्षेत्र शाख न्यायालय में पृथक् पृथक् शरण पर तीन-तीन बार आवाजे बरखायी गयी। जावजूद सुशासन लगवाने के उपरांत भी बारीगाठा के न्यायालय में धारित नहीं रहने के कारण परावली अन्तर्गत शाखा व विभाग-3 पी० डी० के तहत भद्रम धारणी व अरुम पैरवी में शरण की जाती है। परावली केसल सुमार डीकर-नवा से काम शुरू कर दायित्व फलतः डी० के</p>	विशेष

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर